दि. 26/02/2018 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थीगण सं 1 से 12 के वकीलो की बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस बताया गया कि प्रार्थीगण सं 1 व 2 के स्व पिता सोमा तथा वादी सं 3 के पिता तथा प्रार्थी सं 4 व 5 के दादा स्व सलिया उर्फ हलिया भील के कब्जा काश्त की संवत् 1999 –2008 खतौनी आसामीवार मौजा गोकुलपुरा तफा बाय के गत खाता सं 30 की आराजीयात सा ख.न 199, 200, 203, 204, 305, 343 तथा 354, 357 होकर वादीगण काबिज है। उक्त आराजीयात मौजा गोकुलपुरा तहसील डूंगरपुर की संवत 2013–19 की जमाबंदी मे हाल खसरा न 285, 298, 303, 305 एवं 573 के रूप मे दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे एक वाद इस न्यायालय मे जैरकार है। जिसमे प्राथमिक रूप से सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। वकील प्रार्थीगण द्वारा आगे बताया गया कि वादग्रस्त आराजी हाल पैमाईशी खाता संवत 2019 के खाता न 62 खातेदारी श्री मोहनलाल वल्द कस्तुरचन्द महाजन सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर संवत 2019–22 के बाद कि जमाबंदी रिकार्ड संवत 2023–26 के में जरिये दायर नामान्तरकरण सं 1 दिनांक 07/07/1968 षंडयत्रपूर्वक पटवारी हल्का द्वारा विपक्षी सं 1 से 6 के पिता एवं प्रार्थी सं 7 के पति स्व. कुन्दन जी कलाल तथा उसके भाई स्व भागचंद कलाल (विपक्षी सं 8 से 12 के पिता) के नाम बिना किसी वैध हस्तान्तरण, बेचान तथा बिना किसी न्यायालय डिकी के दर्ज हो गई, किन्तु उक्त आराजीयात पर वादीगण अपने पुराने कब्जेकाश्त मे है एवं काबिज है इस आधार पर सुविधा का संतुलन उनके पक्ष मे है। वकील प्रार्थी ने बताया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे है उसमे विपक्षीगण किसी भी तरह की बेदखली अथवा व्यवधान व निर्माण कार्य न करावे तथा न ही किसी अन्य को पंजीकृत दस्तावेज से कोई हस्तान्तरण नही करावे इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे अन्यथा उनको अपूरणीय क्षति होगी।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस मे बताया कि मौजा गोकुलपुरा की आराजीयात न 285, 298, 303, 305 एवं 573 विपक्षीगण के पूर्वज एवं उनके पूर्व इन आराजीयात के खातेदार श्री मोहनलाल पुत्र श्री कस्तुरचन्द महाजन के खातिर कब्जे एवं काश्त मे विक्रम संवत 1999 से पहले से पहले से चली आ रही है तथा इन आराजीयात का खाता कब्जा एवं काश्त सन 1963 से विपक्षीगण के पूर्वज श्री कुन्दन एवं श्री भागचन्द एवं तत्पश्चात विपक्षीगण के खाते कब्जे एवं काश्त मे चले आ रहे है। इस प्रकार लगभग 54 वर्ष हुए वादग्रस्त आराजीयात विपक्षीगण के पूर्वजो के खाते कब्जेकाश्त मे उनके जीवनकाल तक तथा बाद मे विपक्षीगण के खाते कब्जेकाश्त मे चली आ रही है। इसलिये प्राथमिक रूप से वाद में विपक्षीगण को सफलता मिलने की संभावना है एवं सुविधा का संतुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा आ-गे बताया गया कि विपक्षीगण की वादग्रस्त खातेदारी आराजीयात जिस पर उनका कब्जा एवं काश्त है में प्रार्थी को जबरन कब्जा करने, व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे अन्यथा अपूरणीय क्षति होगी। वकील विपक्षी-गण द्वारा आगे बताया गया कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा भी नहीं रहा है, न ही इस संबंध में कोई लिखित साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। कब्जे के अभाव में तथा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों परिस्थितियों मे सें एक भी नहीं होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती इस संबंध में निम्नलिखित साईटेशन प्रस्तुत किये गयेः–

1- 2014 (2) DNG (RAJ) 612, Rajasthan High Court.

2- 1996 DNG (RAJ) 12, Rajasthan High Court.

हमने पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र ,जबाब,जबाबुल जबाब तथा दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी एवं विपक्षीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न खतोनी आसामीवार मौजा गोकुलपुरा तफा बारा बन्दोबस्त रियासत डूंगरपुर की संवत 1999–2008 की छाया प्रति मे खाता सं 30 मे नाम आसामी मोहनलाल वल्द कस्तुरचन्द जी कौम महाजन खडायत दर्ज है जबकि नाम काश्तकार शिकमी के कौलम मे खेत न 199 तथा 204 के संमुख कॉलम 5 में कमशः सलीया वगैरा पि देवा कौम भील तथा सलीया वगैरा दर्ज है। ग्राम गोकुलपुरा की जमाबंदी सं0 2052–2055, भूप्रबन्ध विभाग की जमाबंदी संवत 2019,तुलनात्मक फर्द संवत 2013 के अवलोकन से जाहिर हैकि वादग्रस्त आराजी पर करीब 50 वर्षो से विपक्षीगण के पूर्वजो एवं उसके पश्चात विपक्षीगणों की खातेदारी रही है । प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने के संबध मे कोई लिखित साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। अतः हम प्रार्थीगण द्वारा चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी करना उचित नही समझते है अपितु अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनो परिस्थितिया विपक्षिगण के पक्ष मे होने से विपक्षिगण के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूलवाद के निस्तारण होने तक विपक्षीगण कि मौजा गोकुलपुरा मे वादवर्णित भूमि पर प्रार्थीगण जबरन कब्जा, काश्त मे व्यवधान न करे न ही किसी ओर से करावे।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner